

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 99/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

खेमाराम वगैरा बनाम वीरमाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील :-


निर्णय

दिनांक - 22.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प धारासर में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा आईदान की ढाणी, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में 562/536 रकबा 185.18 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा मौजा आईदान की ढाणी, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में 562/536 रकबा 185.18 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कूठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प धारासर में सुनाया गया।


(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/

प्रार्थीगण :-

1.खेमाराम 2.लिखमाराम 3.मगनाराम पि. दानाराम
जाति जाट, निवासी आईदान की ढाणी, धारासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

दिनांक

विप्रार्थीगण:-

1.वीरमाराम पुत्र लिछमणाराम जाट, 2.हनुमानराम
पुत्र डालूराम 3.नारणाराम पुत्र रेखाराम 4.विरधाराम
पुत्र शिवकरनराम 5.रूगनाथ पुत्र किसनाराम 6.
प्रभूराम पुत्र बगीराम 7.पेमाराम 8.हनुमान पि.डूडाराम
9.मुकनाराम पुत्र रेखाराम 11.हनुमान पुत्र
शिवकरनाराम 11.नेनु पुत्र शिवकरनाराम
12.भागीरथ पुत्र किशनाराम 13.अकलों पत्नि
घमण्डाराम 14.नेनुराम पुत्र घमण्डाराम जाति
ब्राहमण 15.पोकर पुत्र सुरताराम 16.करना पुत्र
सुरता जाति जाट, निवासी आईदान की ढाणी,
धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 99/18

दिनांक : 22.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के मौजा आईदान की ढाणी, धारासर के खेत खसरा सं. 562/536 रकबा 185.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1108-11

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खेमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण वीरमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेइवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

24.05.18

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन